भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
कोच्चि KOCHI
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फा.सं. II/39/14/2018 -रा.भा. तारीख/Date: 25 .10.2018

सेवा में/ To

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद आयुक्तालय, कोचिन-18

All the members of the O L I C, Central Tax & Central Excise Commissionerate, Cochin-18.

महोदय/महोदया/ Sir/Madam,

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 09.10.2018 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

Sub: Minutes of the quarterly Meeting of the Official Language Implementation Committee held on 09.10.2018.

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, कोचिन-18 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 09.10.2018 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इस के साथ संलग्न है। सभी संबन्धित अधिकारियों से अनुरोध है कि समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें ।

Kindly find enclosed a copy of the minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee (OLIC) of the Office of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Cochin-18 held on 09.10.2018. All concerned Officers are requested to take necessary action to ensure the compliance of the decision taken by the Committee.

भवदीया/Yours faithfully,

25/10/2018

(राजेश्वरी आर.नायर/ RAJESWARI R.NAIR)
संयुक्त आयुक्त(का.व सत.)/ JOINT COMMISSIONER(P&V)

प्रतिलिपि /Copy to:

1. महा निदेशक, निष्पादन प्रबंधन महा निदेशालय, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, इन्द्र प्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।

   The Director General, Directorate Performance Management, Customs, Central Excise & Service Tax, "D" Block, I P Estate, New Delhi - 2.
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क। केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र ।

   The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise & Customs, C.R.Building, I.S.Press Road, Thiruvananthapuram Zone.
3. आयुक्त के निजी सचिव/ सभी अनुभाग प्रमुख/ मण्डल कार्यालय

   P.S to Commissioner/ All Section Heads/ Divisions
4. सभी केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त

   All the Commissioner's of Central Tax & Central Excise.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आइ. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 09.10.2018 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

Minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi held on 09.10.2018

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 09.10.2018 को अपराह्न 03.30 बजे केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्त श्री के.आर. उदय भास्कर की अध्यक्षता में आयुक्तालय के सम्मलेन कक्ष में आयोजित की गई।

The quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi was convened on 09.10.2018 at 03.30 pm under the Chairmanship of Shri K.R. Uday Bhaskar, Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi in the Conference Hall of the Commissionerate. The following members attended the meeting.

क्र.सं S.No.	अधिकारी का नाम Name of the Officer	पदनाम Designation	अनुभाग /मंडल Section/Division
1	डॉ टी. टिजु Dr. T. Tiju	अपर आयुक्त Addl.Commissioner	मुख्यालय Hqrs.
2	राजेश्वरी आर नायर Rajeswari R.Nair	संयुक्त आयुक्त[का.व सत.] Joint Commissioner[P&V]	मुख्यालय Hqrs.
3	बिजु थॉमस Biju Thomas	उप आयुक्त Deputy Commissioner	तकनीकी, मु. Technical, Hqrs.
4	श्रीमती उमादेवी बी. Smt. Uma Devi B.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	न्याय्निर्नयन, विधिक. मु. Adjn. Hqrs.

5	सुरेश बाबु पी जी Suresh Babu P.G.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	का. व सत., मु. P&V Hqrs.
6	जिम्मी जोसफ Jimmi Joseph	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	निवारक, मु. Preventive, Hqrs.
7	जॉर्ज जोसफ George Joseph	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	मु.ले अधिकारी / लेखा परीक्षा
8	कु.एम विनुता Ms. M. Vinuta	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	काक्कनाड मंडल Kakkanad Dvsn.
9	कु.शालिनी सुष्मिता Ms.Shalini Sushmita	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	आलुवा मंडल Aluva Dvsn.
10	बिजु पॉल Biju Paul	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	इडुक्की मंडल Idukki Dvsn.
11	श्री जयकान्त सी वी Shri Jayakant C.V.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	पेरुम्बावूर मंडल Perumbavoor Dvsn
12	श्रीमती रोसेलिंड जोस थॉमस कोरुत Smt.Rosalind Jose Thomas Koruthu	कनिष्ठ अनुवादक Junior Translator	मुख्यालय Hqrs.

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक आरंभ की।
The Chairman welcomed all the members of the Committee and commenced the meeting.

I पिछली बैठक के निर्णयों पर कार्रवाई / Action taken on the decisions of the last meeting.

a. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है । Documents coming under section 3(3) of OL Act,1963 should be issued only in bilingual form:

समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि भविष्य में भी इसे सख्ती से पालन किया जाएं। अध्यक्ष ने यह निदेश भे दिया कि हिंदी में जारी होने वाले आदेशों को कार्यालय वेबसाइट में भी अपलोड किया जाएं ।

The Committee was informed that section 3(3) of OL Act, 1963 is being followed. The Chairman directed that the same may be strictly followed in future too. The Chairman also directed that the Orders issued in Hindi may be uploaded in office website.

कार्रवाई: प्रशासनिक अधिकारी(मु.), प्रशासन, तकनीकी,न्यायनिर्णयन, सतर्कता अनुभागों के अधीक्षक, जन संपर्क अधिकारी, कनिष्ठ अनुवादक

Action: AO(Hqrs.), Supdt.s of Admn., Technical, Adjn., Vigilance sections, PRO, JT

b. राजभाषा नीति पर कार्यशाला / Workshop on Official Language Policy :

समिति को सूचित किया गया कि दिनांक 13.09.2018 को हिन्दी अनुवादक द्वारा, इस क्षेत्र में नव नियुक्त 56 निरीक्षकों को, नासिन, कोच्चि में अपने प्रवेश पाठ्यक्रम का एक भाग के रूप में "राजभाषा नीति" पढाई गई थी | आनेवाली तिमाही में एक कार्यशाला आयोजित की जानी है और इस के लिए नामांकन की प्रतीक्षा में है | अध्यक्ष महोदय ने अपनी राय प्रस्तुत की कि प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारीयों की सूची संयुक्त आयुक्त (का. व सत.) को दी जानी चाहिए ताकि वे उन्हें बैच बैच में कार्यशाला के लिए नामांकित कर सके |

The Committee was informed that a 56 newly recruited inspectors of this zone were taught "Official Language Policy" by the Hindi translator as a part of their induction course in NACIN Kochi on 13.09.2018. A workshop has to be conducted in the coming quarter and nominations are awaited for the same. The chairman opined that the list of names to be trained should be given to JC(P&V) so that officers may be nominated in batches for the workshop.

कार्रवाई:राजभाषा अनुभाग/ Action: All OL Hindi Section

c. कैरली पत्रिका का प्रकाशन/ Publication Articles for the departmental magazine "Kairali-2017-18" :

समिति को सूचित किया गया कि दिनांक 18.09.2018 को विभागीय पत्रिका "कैरली" प्रकाशित की गई थी |

The Committee was informed that departmental magazine "Kairali" was published on 18.09.2018.

d. कार्यालय वेबसाइट में उपलब्ध प्रशासनिक शब्दावली/ Administrative glossary available in office website :

समिति को सूचित किया गया कि आयुक्त महोदय के निदेशानुसार केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित "प्रशासनिक शब्दावली" आयुक्तालय की वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है |

The Committee was informed that As per Commissioner's instructions "Administrative Glossary" published by the Central Translation Bureau, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India has been uploaded in the Commissionerate's website.

e. हिंदी पखवाडा 2018-19 / Hindi Fortnight 2018-19 :

समिति को सूचित किया गया कि दिनांक 17.09.2018 से 28.09.2018 तक लेखा परीक्षा आयुक्तालय के साथ संयुक्त रूप में आयुक्तालय के मुख्यालय में अधिकारीयों एवं उनके बच्चों के लिए हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया, प्रतियोगितायें चलाई गईं,समापन समरोह में प्रमाण पत्र एवं नकद पुरस्कार दिए गए | मंडल कार्यालय को प्रतियोगिताएं संबंधी सामग्री इस सप्ताह में भेजी जायेंगी |

The Committee was informed that Hindi fortnight was celebrated for officers and children of officers in the Hqrs. Office of the Commissionerate jointly with

Audit Commissionerate from 17.09.2018 to 28.09.2018, competitions were conducted, certificates and cash awards were given in the Valedictory function. Competition materials will be forwarded to the divisions this week.

II **तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा / Review of the quarterly report :-**

समिति को आयुक्तालय की हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता एवं तीनों क्षेत्रों में जाने वाले हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता सूचित की गई ।

वे इस प्रकार है:-

पिछली तिमाही में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 46.4%

वर्तमान तिमाही में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता -40.5%

यथाक्रम दिनांक 30.06.2018,30.09.2018 को समाप्त होने वाली तिमाहियों में क -53.3%-52.7%,ख-66.6%-78.9%,ग -56.6%-51.07% ।

The Committee was informed percentage of Hindi notings and percentage of Hindi correspondence to three regions:-It is as follows :-

Percentage of Hindi notings in previous quarter-46.4%

Percentage of Hindi notings in current quarter- 40.5%

A-53.3%-52.7%,B-66.6%-78.9%,C-56.6%-51.07% for the quarters ending on 30.06.2018,30.09.2018 respectively.

III **विविध/Miscellaneous :-**

1. **राजभाषा मासिक रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना/Submission of Official Language Monthly Report on time :**

हिंदी अनुवादक ने समिति के सभी सदस्यों से दरख्वास्त की कि अपने अपने अनुभाग /विभाग की राजभाषा मासिक रिपोर्ट समय पर ही प्रस्तुत करने की कृपा करें | अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से कहा कि सभी सदस्यों द्वारा इसे सख्ती से पालन किया जाएं | उन्होंने यह भी कहा कि टिप्पणियों के अंतिम भाग हिन्दी में ही लिखें एवं प्रेषण पत्र अनिवार्य रूप से हिन्दी/द्विभाषी में ही जारी करें |

The Hindi Translator requested all members to kindly submit the Official Language Monthly report on time. The Chairman told that all members should follow it strictly. He also said that last portion of all notes may be written in Hindi and forwarding letters may be issued in Hindi/bilingual form.

कार्रवाई:राजभाषा अनुभाग/विभाग Action: All OL Hindi Sections/Divisions

सदस्यों से अन्य कोई सुझाव न होने पर अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक अपराह्न 04.00 बजे समाप्त हुई ।

As no further suggestions came from the members the meeting ended at 04.00 pm with vote of thanks to the Chair.

राजे श्व री

(राजेश्वरी आर.नायर/ RAJESWARI R.NAIR)

संयुक्त आयुक्त(का.व सत.)/ JOINT COMMISSIONER(P&V)